



LEGEND:



- प्रतिबन्ध**
- 1 नू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। मुख्यद के अिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस माग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस माग का पुनर्ग्रहण/अधिवहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
 - 2 वर्तमान शासनादेश के अन्तर्गत लेण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
 - 3 लेण्ड स्केपिंग प्लान व सर्वेसिज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
 - 4 विकास उपसत्ता योजना की स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करना होगा। हस्तान्तरण तक रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता/आवेदक की होगी।
 - 5 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 - 6 रेनवाटर हार्डस्ट्रिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
 - 7 लेवर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं लेवर सेस शुल्क का नियमानुसार भुगतान करते हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
 - 8 स्थल के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
 - 9 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचनापट्ट लगाना होगा।
 - 10 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉने जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
 - 11 दिव्यास मानचित्र की पूर्ण स्वीकृति के कम में यदि विकासकर्ता/नू-स्वामी द्वारा सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया गया है तो उनके समावोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। रेटा एक्ट के प्राधिकरणों का पालन करना होगा।
 - 12 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकट में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्य की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह मानचित्र उत्तर प्रदेश सरकार के नियम 1974 के अन्तर्गत तैयार किया गया है।
 1974 की कानून 16 के अन्तर्गत प्रमाणित स्वीकृत किया गया है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक स्वामित्व के लिए विद्यता कब नहीं है।



This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect.

PROJECT
 PROPOSED LAYOUT PLAN FOR COMMERCIAL, SECTOR-G AT SUSHANT GOLF CITY, HI-TECH TOWNSHIP, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW

KEY PLAN (NTS) SITE LOCATION

DRAWING TITLE
LAYOUT PLAN (SERVICES)

Revision:
 R1: 15.01.2019
 R2: 18.01.2019
 R3: 01.02.2019

DEALT BY RAJ KAPOOR **CHECKED BY**

SCALE 1:100 **DATE** December-2018

यह मानचित्र लखनऊ महानगर 2031 तथा भवन उपायोजि 2008/2011/2016 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT TEAM ARCHITECTURE **CLIENT OWNERS** ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD. 11A, ANSAL BIRWAL, H.C.O. MARI, NEW DELHI - 110001

Architect Sandeep Seth **OWNER'S SIGNATURE**

Architect B. Arch. CA 15477834

DRG.NO.: HI-TECH/SGC,LKO/COM/SEC/G/SUB-03